संख्या 57 / VI-I / 2007–7(युवा)2001

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग: देहरादून दिनांक 22 मार्च 2007

विषयः युवा छात्रावास बद्रीनाथ विकास कार्यो हेतु द्वितीय किस्त एवं एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान हेतु धनराशि के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 1294 / दो–1212 / 2006–2007,दिनांक 14 मार्च 2007 एवं पत्र संख्या 1305 / विविध / 2006–07 दिनांक 16 मार्च 2007 तथा शासनादेश संख्या 120 / VI-I / 2006–7(युवा)2001 दिनांक 19 जुलाई 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि यूथ हास्टल बद्रीनाथ के विकास कार्यो हेतु द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु रू0 19.72 लाख(रू0उन्नीस लाख बहत्तर लाख मात्र) एवं वन विभाग को एन0पी0वी0 के भुगतान हेतु रू0 3.48 लाख(रू0 तीन लाख अड़तालीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 23.20 लाख (रू0 तेईस लाख बीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–2007 में इतनी ही धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्युल –ऑफ –रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।तदोपरान्त ही आगंणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3.कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये, जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणंन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7. आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हैं, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायें।

10. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जायें।

11. जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगंणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12. मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या– 2047 / XIV–219(2006)दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13. किसी भी में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका,बजट मैनुअल,भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेडंर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

14. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–2007 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 2204 – खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–06–युवा छात्रावासों का विकास–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

15. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या 372 वित्त अनुभाग–3 / 2007 दिनांक 21 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्याः– 56 /VI-I/2007–07(युवा)2001 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी उत्तरांचल शासन।
4– अपर सचिव,वित्त उत्तरांचल शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– कार्यपालक अभियंता,गढवाल मण्डल, केलोनिवि श्रीनगर, गढवाल।
7– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव